



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य



(पत्रांक-30/2021 दिनांक 30.01.2021)

दिनांक- 30.01.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

पिकप वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 01 कुन्तल 27.21 किग्रा अवैध चरस (कीमत लगभग- 07 करोड़ 62 लाख रुपये) के साथ 04 अन्तराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार-

जनपद में मादक पदार्थ/ अवैध शराब के बिक्री,परिवहन,निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2021 को रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना अहिरौली बाजार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा NH-28 सुबोधिया खुर्द के पास से चार अभियुक्तों 1.कमल रावत कुर्मी पुत्र द्वारिका कुर्मी सा0 तिनडोभिया थाना पोखरिया जिला परसा (नेपाल राष्ट्र) 2. रामबिलास सिंह पुत्र स्व0 हीरालाल सिंह सा0 पिपरा कला थाना नरही जिला बलिया 3. प्रमोद कुमार उपाध्याय पुत्र रजनीकांत उपाध्याय सा0 पिपरा कला थाना नरही जिला बलिया 4. हरदेव राजभर पुत्र वीरबहादुर राजभर सा0 खोरी पाकड़ थाना फेफना जिला बलिया एक पिकप वाहन संख्या UP-60-T -7212 में प्लास्टिक की 06 बोरियों में रखा 01 कुन्तल 27.21 किग्रा अवैध चरस (अन्तराष्ट्रीय कीमत लगभग-07 करोड़ 62 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया । पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि नेपाल से कमल रावत द्वारा उपरोक्त चरस मोतीहारी (बिहार) लाया गया था जिसे हरियाणा लेकर जा रहे थे और वहा सेटिंग कर सप्लाई करना था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-19/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

विवरण बरामदगी:-

- 1.अवैध 01 कुन्तल 27.21 किग्रा चरस कीमत लगभग- 7 करोड़ 62 लाख रुपये।
2. एक पिकप वाहन संख्या- UP-60-T-7212

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.कमल रावत कुर्मी पुत्र द्वारिका कुर्मी सा0 तिनडोभिया थाना पोखरिया जिला परसा देश नेपाल
- 2.रामबिलास सिंह पुत्र स्व0 हीरालाल सिंह सा0 पिपरा कला थाना नरही जिला बलिया
- 3.प्रमोद कुमार उपाध्याय पुत्र रजनीकांत उपाध्याय सा0 पिपरा कला थाना नरही जिला बलिया
- 4.हरदेव राजभर पुत्र बिरबहादुर राजभर सा0 खोड़ी पाकड़ थाना फेफना जिला बलिया

आपराधिक इतिहास:-

- 1.अभियुक्त रामबिलास सिंह का आपराधिक इतिहास
- 1.46/15 धारा 20/22 NDPS Act थाना गोविन्द पुर जिला धनवाद झारखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.SO श्री अनिल कुमार (थानाध्यक्ष) थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 श्री अमित शर्मा स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 3.उ0नि0 श्री परमात्मा प्रसाद थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 4.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 5.हे0का0 मुबारक अली स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 6.हे0का0 अशोक सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 7.का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 8.का0 राघवेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 9.का0 संदीप भास्कर स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 10.का0 विनोद कुमार यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 11.का0 शशिकेश गोस्वामी स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 12.का0 कृष्णमोहन कुशवाहा स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 13.का0 सत्यप्रकाश तिवारी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 14.का0 रंजीत कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 15.का0 शंखधर राय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 16.का0 रामबचन रामविन्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गोबध अधिनियम में की गयी कार्यवाही-(04)

थाना तरयासुजान-

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा तमकुहीराज गुदरी मुहल्ला से 04 व्यक्तियों 1. अवशान शेख उर्फ लड्डन पुत्र अदालत शेख सा0 गुदरी मुहल्ला तमकुहीराज थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 2. आमिर कुरैशी पुत्र याकुब कुरैशी सा0 हरिहरपुर तमकुहीराज थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 3. समीद हुसैन उर्फ अनील राईन पुत्र कईम राईन सा0 गुदरी मुहल्ला तमकुहीराज थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 4. रियाजुद्दीन अंसारी उर्फ इजाजुल अंसारी पुत्र मो0 तैयब अंसारी सा0 पुरानी तमकुहीराज थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गोवंशीय पशुओं का वध करते समय मौके से गिरफ्तार कर मौके से गो मांस दो अदद चाकू, लकड़ी का एक ठेहा बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0 34/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी / गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- उ0नि0 सुनील कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- हे0का0 संजय कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 बृजेन्द्र पाल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 सचिन विश्वकर्मा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 राकेश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 मो0 जमशेद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 राहुल यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन में कार्यवाही-(कुल-08)

थाना खड्डा -

थाना खड्डा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त इसरायल पुत्र स्व0 लैश साकिन सोहरौना थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0 22/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1. बंका पुत्र रामजीत धुरिया भाठ थाना कसया जनपद कुशीनगर 2. मुन्ना पुत्र सिंघासन साकिन गुरमिया टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर 3. रंजीत कश्यप पुत्र रामआधार साकिन गुरमिया थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0 85/2021, 86/2021, 87/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना ने0 नौरंगिया-

थाना ने0 नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त संजीव पुत्र रमेश मद्धेशिया साकिन देवगांव मल टोला थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0-23/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त चन्द्रिका गोंड पुर स्व0 विन्धेश्वरी साह साकिन बहिराबारी थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 ली0 शरीरी शराब बन्टी बबली शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0-33/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना को0 पडरौना-

थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मन्जूर अली पुत्र मुख्तार मियां साकिन जरार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0-44/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0स0-48/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-01)

थाना तुर्कपट्टी -

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र साबिर आलम साकिन लाला गुरवलिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0स0-28/2021 धारा-41/411/380/457 भा0द0वि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 21 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-92 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-24, व्यक्ति-90
3. आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही -मु0-08, अभि0-08, बरामदगी- 70 ली0 अवैध कच्ची शराब व 45 शीशी देशी शराब बन्टी बबली।
4. वाछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
5. पिकप वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 01 कुन्तल 27.21 किग्रा अवैध चरस (कीमत लगभग- 07 करोड़ 62 लाख रुपये) के साथ 04 अन्तराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार।
6. गोबंघ नि0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही मु0-01, अभि0-04, बरामदगी- गो मांस दो अदद चाकू, लकड़ी का एक ठेहा।
7. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-38)।

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर